



**OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX
VADODARA –I COMMISSIONERATE**

1ST FLOOR, ANNEXE, CENTRAL EXCISE BUILDING, RACE COURSE, VADODARA-390007

Telephone No. (0265) 2330499

Fax No. (0265) 2339271

व्यापार सूचना TRADE NOTICE - 06/2016

विषय:- प्रधान-आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा-कर, वड़ोदरा-१
आयुक्तालय में एस.एम.एस. सेवा शुरू होना -तत्सम्बन्धी ।

**SUBJECT : SMS SERVICE STARTED IN THE OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX, VADODARA-I - REG.**

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा-कर, वड़ोदरा-१ आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा-कर कर-दाता के ध्यान में लाया जाता है कि धनवापसी और शुल्क वापसी दावों की प्रोसेसिंग के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित सूचना भेजने के लिए धनवापसी और शुल्क वापसी एवं अधिनिर्णय विभागों में वड़ोदरा-१ आयुक्तालय दिनांक 18 जुलाई 2016 से डाक/मेल के अतिरिक्त एक शॉर्ट मेसेजिंग सर्विस (एस.एम.एस.) की शुरुआत कर रहा है ।

It is brought to the notice of trade & industry, all the tax payers of Central Excise, Customs & Service Tax falling under Central Excise, Customs & Service Tax, Vadodara-I Commissionerate that Vadodara-I Commissionerate is starting a Short Messaging Service (SMS) from 20th July 2016 in the refund/rebate and adjudication sections to disseminate information related to various aspects of processing of refund/rebate claim and adjudication, in addition to the postal letters/mail.

2. इस प्रणाली के अंतर्गत यह कार्यालय आवेदकों को, जैसा भी मामला हो, एस.एम.एस. भेजेगा । कुछ ऐसे मामले जिनमें एस.एम.एस. भेजे जाने चाहिए, निम्नलिखित हैं :-

As a part of this system, this Office shall send the SMS, as the case may be, to the applicants. Some of the instances where SMS shall be sent are as under:

(क) धनवापसी/शुल्क वापसी का आवेदन मिलने पर: किसी आवेदक से आवेदन मिलने और उस पर संख्या निर्दिष्ट करने के बाद, निम्नलिखित संदेश भेजा जाएगा ।

“हमें आपका दिनांक XX.XX.2016 का (Ref/Reb) दावा प्राप्त हुआ है और उसे दिनांक XX.XX.2016 को दावा संख्या XX.XX.XXXX-XXX/2016-VAD-I. के रूप में पंजीकृत किया गया है ।”

Receipt of application of refund/rebate: After an application is received from an applicant and a number assigned to the same, the following message shall be sent.

We are in receipt of your (Ref/Reb) claim dt.XX.XX.2016 and It has been registered on XX.XX.2016 as Claim No. XX/XXX/2016 -XXX-VAD-I

(ख) व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख: उप आयुक्त (शुल्क वापसी/धन वापसी) द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तारीख प्रदान किये जाने पर निम्नलिखित संदेश भेजा जाएगा :-

“आपके (Ref/Reb) दावा दिनांक XX.XX.2016 के संदर्भ में, व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक XX.XX.2016 को XX.XX बजे निर्धारित की गई है।”

Date of Personal Hearing: On according the date for personal hearing by the Deputy Commissioner (drawback/refund), the following message shall be sent:

With reference to your (Ref/Reb) claim dt.XX.XX.2016, Personal Hearing has been fixed on XX.XX.2016 at XX.XX Hrs.

(ग) व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए आवेदन: किसी अपीलकर्ता से व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने सम्बन्धी आवेदन प्राप्त होने पर एक पावती संदेश भेजा जाएगा।

Request for postponement of personal hearing: On receipt of a request for change in date of personal hearing from an appellant, an acknowledgment message shall be sent.

(घ) अंतिम मूल आदेश जारी करना: अंतिम आदेश जारी करने पर, उसे डाक से भेजने से पहले, निम्नलिखित संदेश भेजा जाएगा:-

“आपके दिनांक xx:xx.2016 के दावे के सन्दर्भ में अंतिम आदेश दिनांक XX.XX.2016 को पारित किया गया है जो आपको डाक द्वारा जल्दी ही मिल जाएगा।”

Issuance of final Order-in-Original: On issuance of the final Order, before its dispatch by Post, the following message shall be sent:

With reference to your Claim dt. XX.XX.2016, the final order has been passed on XX.XX.2016. The same shall reach you by Post shortly.

(ड) डेफिशंसी मेमो जारी करने के मामले से सम्बन्धित सूचना भी एस.एम.एस. द्वारा दी जायेगी।

In case where deficiency memo is issued, information in this regard would also be sent by SMS.

(ण) यह सुविधा सभी रिफंड/रिबेट, ब्रांड दर शुल्क वापसी (ब्रांड रेट फिक्सेसन, धन-वापसी नियम, 1995) आवेदनों एवं अधिनिर्णय के सम्बन्ध के लिए दी जाएगी।

This facility will be for all refund/rebate applications, claims for drawback (Brand rate fixations under DBK Rules, 1995) and adjudication cases.

3. ऐसे एस.एम.एस. भेजने के लिए, इस कार्यालय ने भेजने वाले का नाम मोबाइल स्क्रीन पर “SERTAX” दिखाने की व्यवस्था की है।

For sending such SMS's, this Office has christened the sender as visible on mobile screen as “SERTAX”.

4. इस योजना को सफल बनाने के लिए एक पूर्व अपेक्षा सभी आवेदकों के मोबाइल नम्बरों की उपलब्धता है। अधिसूचना के अनुसार, सभी कर-दाताओं के पंजीयन के समय दिए गए इस नम्बर पर कर-दाता को इस सुविधा के तहत एस.एम्.एस. भेजा जायेगा। यदि कर-दाता चाहें तो एस.एम्.एस. सुविधा के लिए मोबाइल नम्बर अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नम्बर फॉर्म के मुख पृष्ठ पर उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा इसे धन वापसी/ शुल्क वापसी अनुभाग में फोन नम्बर पर भी दिया जा सकता है।

A pre-requisite for making this scheme a success is the availability of the mobile numbers of the applicants. As per Notification, all assessee at the time of taking registration are mandatorily required to provide mobile no. 'SMS' under this facility would be sent to the mobile no. provided by the assessee at the time of registration. If the assessee desires, they may update the mobile no. for 'SMS' facility. The mobile number may be furnished in the body of the Form. Alternatively, the same may be furnished in the refund/rebate/drawback/adjudication sections.


5. सभी व्यापार संघों से अनुरोध है कि वे इस व्यापार सुविधा में उल्लिखित बातों का सामान्य रूप से अपने सभी सदस्यों के ध्यान में लायें। यह सूचना जन-हित में जारी की जाती है। इस सम्बन्ध कोई कठिनाई होने पर कृपया निम्नलिखित अधिकारी से, दिए गए फोन नम्बर पर संपर्क करें।

All Trade Associations are requested to bring the contents of the above instructions to the notice of the trade in general. This notice is issued in Public Interest. In case of any difficulty, please contact -

(सिनिअर टैक्स फैसिलिटेटर, अधीक्षक, के.उ.शु.,सी.शु. एवं सेवा कर, वड़ोदरा-१) Senior Tax Facilitator, the Superintendent of Central Excise, Customs & Service Tax, Vadodara-I; at - **0265-2331188**.

यह व्यापार सूचना प्रधान-आयुक्त, वड़ोदरा-१ आयुक्तालय के स्वीकृति से जारी किया गया है।

This trade notice is issued with the approval of the Hon'ble Principal Commissioner, Vadodara-I Commissionerate.


20/07/16

(सुनील कुमार सिंह SUNIL KUMAR SINGH)

संयुक्त आयुक्त Joint Commissioner,
के.उ.शु.,सी.शु. एवं सेवा कर C. Ex., Cust. & S. Tax,
वड़ोदरा-१ आयुक्तालय Vadodara-I Commissionerate.

F.No. IV/16-173//TradeNot/Cir/Tech/2015-16

Dated: /07/2016

Copy To:

- As per mailing list.
- Notice Board.
- The Assistant Commissioner,
Central Excise, Service Tax & Customs,
C. Ex. Div. - I, II, III & IV and S. Tax Div.-I & II,
Vadodara - I.
- The Superintendent of Central Excise, HQ Computer Section for posting it on website.